मैसर्स टोयोटा मोटर निगम

बनाम

आयकर आयुक्त

(सिविल अपील सं. 5313/2008)

अगस्त 25, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा, जेजे.]

आयकर अधिनियम, 1961- धारा 263 - के तहत कार्यवाही - निर्धारण अधिकारी द्वारा जुर्माना कार्यवाही हटाना - न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाही की शुरुआत निर्धारिती द्वारा रखी सामग्री की पृष्ठभूमि में अनुमति देने योग्य नहीं थी। - उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण अधिकारी को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया। अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: अपील में इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - निर्धारण अधिकारी को सभी प्रासंगिक पहलू और सामग्री को ध्यान में रखना आवश्यक है और तर्कपूर्ण आदेश पारित करें।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 5313/2008।

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आईटीए संख्या 166/2007 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.04.2008 से।

अपीलार्थी की ओर से सोली जे. सोराबजी, संजय कोचर, संपत, एस. अनंत, कृष्ण महाजन, लक्ष्मी अयंगर और संध्या गोस्वामी।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. अरिजीत पसायत, जे.** द्वारा सुनाया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना।

विलम्ब क्षमा किया गया।

अनुमति दी गई।

हम उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने माना है कि निर्धारण अधिकारी ने यह कहते हुए कार्यवाही का निपटारा कर दिया था कि इस मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 सी के साथ धारा 274 के तहत शुरू की गई जुर्माना कार्यवाही को हटा दिया गया है। उच्च न्यायालय के अनुसार, कार्यवाही रद्द करने का कोई आधार नहीं बताया गया। न्यायाधिकरण ने कुछ पहलुओं का उल्लेख किया और कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, आई. टी अधिनियम) की धारा 263 के तहत कार्यवाही शुरू करना अनुमति देने योग्य नहीं था, जब निर्धारिती द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष कथित रखी गई सामग्री की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाता है। उच्च न्यायालय ने जो किया है वह यह है कि निर्धारण अधिकारी को एक तर्क संगत आदेश पारित करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय का विचार था कि न्यायाधिकरण अपने स्वयं के तर्कों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था जिन्हें निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाना आवश्यक था। निर्धारिती के अनुसार सभी प्रासंगिक पहलुओं को विचार के लिए रखा गया था और यदि अधिकारी ने कारण दर्ज नहीं किया, तो निर्धारिती को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

हम इस स्तर पर हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझते। कहने की जरूरत नहीं है कि जब मामले को निर्धारण अधिकारी द्वारा रिमांड पर लिया जाएगा, तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह निर्धारिती द्वारा पहले से रखी गई सामग्री, यदि कोई हो, सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखे और एक तर्क संगत आदेश पारित करे।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपील खारिज की जाती है।

के.के.टी. अपील खारिज।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक** न्यायिक अधिकारी **महेंद्र कुमार अग्रवाल (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।